



अन्त्येष्टि व्युत्पन्न प्रपत्र  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(विनियम 95ई)



विनि. 22

\_\_\_\_\_ को श्री/श्रीमति/सुश्री \_\_\_\_\_ के पुत्र/पत्नी/पुत्री \_\_\_\_\_  
आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, बीमा संख्या \_\_\_\_\_ तथा मेसेर्स \_\_\_\_\_ कोड संख्या \_\_\_\_\_  
द्वारा \_\_\_\_\_ के रूप में अंतिम नियोजित के मृत्यु से उत्पन्न दावा।

मैं \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ के पुत्र/पत्नी/पुत्री, आयु \_\_\_\_\_ वर्ष  
घोषित करता हूँ:-

\* i) कि मैं मृतक बीमित व्यक्ति के परिवार का सबसे बड़ा जीवित सदस्य हूँ, जिसका विवरण यहां ऊपर दिया गया है, और यह कि मैंने वास्तव में रुपये \_\_\_\_\_ (रुपये \_\_\_\_\_ केवल) उक्त मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक है) खर्च किया है।

अथवा

\* ii) की मृतक बीमित व्यक्ति, जिसका विवरण यहां ऊपर दिया गया है, उसका परिवार नहीं था/उसकी मृत्यु के समय अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा था और मैंने वास्तव में मृतक बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर रु. \_\_\_\_\_ (रुपये \_\_\_\_\_ मात्र) खर्च किया था।।

iii) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने अंतिम संस्कार पर कोई खर्च नहीं किया है। तदनुसार, मैं एतद्वारा अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु. \_\_\_\_\_ (रुपये \_\_\_\_\_ केवल) दावा करता हूँ।

दिनांक \_\_\_\_\_

साफ अक्षरों में नाम \_\_\_\_\_

दावेदार का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

अनुप्रमाणन

\*\*प्रमाणित किया जाता है कि यहां-ऊपर मैं की गई घोषणाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

बड़े अक्षरों में नाम और  
प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी की रबर  
स्टाम्प का मुहर

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

\* (i) या (ii) को हटा दें, जो मामले में लागू न हो।

\*\*यह प्रमाण पत्र (1) सरकार के राजस्व न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी या (2) नगर पालिका आयुक्त या (3) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त या (4) ग्राम के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगाकर के या (5) सासद (0) राजपत्रित अधिकारी, या (7) कबीन की स्थानीय समिति/क्षेत्रीय समिति के सदस्य, या (8) शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

**महत्वपूर्ण:** कोई व्यक्ति चाहे अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने प्रयोजन से मिथ्यायाध्या व्यपदेशन करेगा अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेवार उहराएगा तथा 2000/- रुपए तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।

नोट: अवयस्क आश्रितजन के मामले में संरक्षक अवयस्क की ओर से हस्ताक्षर करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे निम्नलिखित जोड़ेंगे :-

( अवयस्क का नाम )

माध्यम से \_\_\_\_\_

(अभिभावक का नाम)

उनका \_\_\_\_\_

(अवयस्क सहित नातेदारी)